न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 390

दिनांक 08/02/2024

अनवान :–

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
सुखराम वगैरा	बनाम	भीखाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 30/2023

दिनांक : 08.02.2024

आदेश

तहसीलदार **धनाऊ** को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील **धनाऊ**, पटवार क्षेत्र **धनाऊ** के मौजा **सुरते की ढ़ाणी** के खेत खसरा सं. 645/603, 736/557 रकबा क्रमशः 02.2662, 02.2581 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.03.06 12:15:06 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक/भू.अ./2024/ 391 to 394

दिनांक 08/02/2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण सुखराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण भीखाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन